



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 809]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 13, 2018/कार्तिक 22, 1940
No. 809]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 2018/KARTIKA 22, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवंबर, 2018

सा.का.नि.1108(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) चौथा संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 1 में,-
(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-
"संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना";
(ख) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(3) ये नियम, अधिनियम या उसके नियमों के उपबंध के अधीन किसी कंपनी या उसकी देयताओं की किसी संपत्ति, स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूति या गुडविल या कोई अन्य आस्ति या शुद्ध मूल्य के संबंध में मूल्यांकन करने के लिए लागू होंगे।
स्पष्टीकरण.- यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या इन नियमों के अलावा किसी अन्य कानून के अधीन किया गया मूल्यांकन इन नियमों के प्रवृत्त होने के कारण प्रभाव नहीं डालेगा।”
3. उक्त नियम के, नियम 3 के, उपनियम (2) में,-
(क) खंड (क) में, “नहीं” शब्द का लोप किया जाएगा;
(ख) खंड (ग) में, “(ड)” कोष्ठक और अक्षरों के पश्चात्, “(च)”, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमों के, नियम 4 में,-
(क) खंड (ग) में, “और खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट अर्हताएं” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों को लोप किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण (II) में “तथा परीक्षा या प्रशिक्षण” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ग) स्पष्टीकरण (II) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण (III).- इस नियम और अनुलग्नक-IV के उद्देश्य के लिए, ‘समतुल्य से अभिप्रेत वृत्तिक और तकनीकी अर्हता होगी जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा वृत्तिक और तकनीकी उपाधि के समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो।”।

5. उक्त नियमों के, नियम 10 में, “और वह इन नियमों के अनुसार और यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य कानून या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के अनुसार मूल्यांकन कर सकता है” शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के, नियम 11 में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के, नियम 12 के, उपनियम (1) के, खंड (ii) में, “वह कोई वृत्तिक संस्थान” शब्दों के स्थान पर “यह..... एक वृत्तिक संस्थान है” शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के, अनुलग्नक -IV के स्थान पर निम्नलिखित अनुलग्नक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अनुलग्नक -IV

मूल्यांकन के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता अर्हता और अनुभव

(नियम 4 का स्पष्टीकरण II देखें)

आस्ति वर्ग	पात्रता	विनिर्दिष्ट संकाय में अनुभव
	अर्हता	
प्लांट और मशीनरी	(i) मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एवं इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, कैमिकल, टैक्सटाइल्स, लैदर, मेटलर्जी या ऐयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में स्नातक या समतुल्य; (ii) उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर	(i) पांच वर्ष (ii) तीन वर्ष
	भूमि एवं भवन	(i) सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, या टाउन प्लानिंग में स्नातक या समतुल्य; (ii) उपर्युक्त पाठ्यक्रमों तथा भूमि एवं भवन मूल्यांकन या स्थावर संपदा मूल्यांकन में स्नातकोत्तर (दो वर्ष का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)
प्रतिभूति या वित्तीय आस्तियां		(i) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का सदस्य, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या (वित्त में विशेषज्ञता) से बिज़नेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। (ii) वित्त में स्नातकोत्तर
नियम 4 के अनुसार तत्समान अर्हताओं और अनुभव के साथ अन्य कोई आस्ति वर्ग, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।		

टिप्पण :

पात्रता अर्हता से भारत या विदेश से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्व विद्यालय या समतुल्य से अर्हता प्राप्त करना अभिप्रेत है।”।

[फा. सं. 1/27/2013-सीएल-V (भाग)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1316(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 155(अ) तारीख 9 फरवरी, 2018, संख्यांक सा.का.नि. 559(अ) तारीख 13 जून, 2018 और संख्यांक सा.का.नि. 925(अ) तारीख 25 सितंबर, 2018 द्वारा उनका संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2018

G.S.R.1108(E).—In exercise of the powers conferred by section 247 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Registered Valuers and Valuation) Fourth Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 (hereinafter referred to as “the said rules”), in rule 1,—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

“Short title, commencement and application”;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) These rules shall apply for valuation in respect of any property, stocks, shares, debentures, securities or goodwill or any other assets or net worth of a company or its liabilities under the provision of the Act or these rules.

Explanation.- It is hereby clarified that conduct of valuation under any other law other than the Act or these rules by any person shall not be affected by virtue of coming into effect of these rules.”.

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (2), -

(a) in clause (a), the word “not” shall be omitted;

(b) in clause (c), after the brackets and letter “(e)”, the brackets and letter “(f),” shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 4,-

(a) in clause (c), the words, brackets and letters “and having qualification mentioned at clause (a) or (b)” shall be omitted;

(b) in Explanation II, the words “and examination or training” shall be omitted;

(c) after Explanation II, the following Explanation shall be inserted, namely :-

“Explanation III.— For the purposes of this rule and Annexure IV, ‘equivalent’ shall mean professional and technical qualifications which are recognised by the Ministry of Human Resources and Development as equivalent to professional and technical degree.”.

5. In the said rules, in rule 10, the words “and he may conduct valuation

as per these rules if required under any other law or by any other regulatory authority” shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 11, the Explanation shall be omitted.

7. In the said rules, in rule 12, in sub-rule(1), in clause (ii), for the words “a professional institute”, the words “it is a professional institute” shall be substituted.

8. In the said rules, for Annexure IV, the following Annexure shall be substituted, namely :-

“Annexure IV

Eligibility Qualification and Experience for Registration as Valuer
(See Explanation II to rule 4)

Asset Class	Eligibility	Experience in specified discipline.
	Qualifications	
Plant and Machinery	(i) Graduate in Mechanical, Electrical, Electronic and Communication, Electronic and Instrumentation, Production, Chemical, Textiles, Leather, Metallurgy, or Aeronautical Engineering, or Graduate in Valuation of Plant and Machinery or equivalent; (ii) Post Graduate on above courses.	(i) Five years (ii) Three years
Land and Building	(i) Graduate in Civil Engineering, Architecture, or Town Planning or equivalent; (ii) Post Graduate on above courses and also in valuation of land and building or Real Estate Valuation (a two-year full time post-graduation course).	(i) Five years (ii) Three years.
Securities or Financial Assets	(i) Member of Institute of Chartered Accountants of India, Member of Institute of Company Secretaries of India, Member of the Institute of Cost Accountants of India, Master of Business Administration or Post Graduate Diploma in Business Management (specialisation in finance). (ii) Post Graduate in Finance	Three years
Any other asset class along with corresponding qualifications and experience in accordance with rule 4 as may be specified by the Central Government.		

Note.- The eligibility qualification means qualification obtained from a recognised Indian University or equivalent Institute whether in India or abroad.”.

[F. No. 1/27/2013-CL-V(Part)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1316(E), dated the 18th October, 2017 and subsequently amended, number G.S.R. 155(E), dated the 9th February, 2018, number G.S.R. 559(E), dated the 13th June, 2018, and number G.S.R. number 925(E), dated the 25th September, 2018.